राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 71/2021
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021/148
दायर दिनांक– 14.10.2021
निर्णय दिनांक– 03.07.2024

उनवानी–.

1. राजूड़ी पत्नि छोटू जाति बलाई नि0 पनेर तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

....वादिया

बनाम

1. दल्लाराम पुत्र भंवरलाल जाति बलाई
2. कमला पत्नि भंवरलाल जाति बलाई
3. अन्नू पुत्री भंवरलाल जाति बलाई
4. बिमला पुत्री भंवरलाल जाति बलाई.
5. संतोष पुत्री भंवरलाल जाति बलाई
   सर्वनिवासीगण ग्राम पनेर तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर
7. शाखा प्रबंधक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा सलेमाबाद, किशनगढ़

....प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय रूपनगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 रा0का0अधि0 1955

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिया की संयुक्त कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी वाकै ग्राम पनेर पटवार हल्का पनेर भू–अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या नया 253 के ख0न0 917/48 रकबा 1.3753 है0 किस्म बा–2 , ख0न0 919/58 रकबा 0.8899 है0 किस्म बा–2 कुल खसरा 2 में से वादिया का 1/2 हिस्सा रिकार्ड अनुसार तथा कब्जा काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रतिवादी 1 लगायत 5 का प्रत्येक का हिस्सा 1/10 निहित दर्ज है। वादिया मौके पर अपने हिस्से अुनसार काबिज काश्त चली आ रही है। प्रतिवादीगण वादिया से द्वेषता रखते है व वादिया को उसके हिस्से में काश्त करने में बाधा डालते है। दिनांक 30.9.2021 को जब वादिया उसके हिस्सा अनुसार सार सम्भाल करने गये तो प्रतिवादीगण ने वादिया के कार्य में बाधा डाली। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 विवादित आराजी में सहकृषक होने के कारण उनको वाद में प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा सह खातेदार के रूप में दर्ज है। वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का बंटवारा न होने से व वादिया के हक हिस्से की आराजी के उपयोग, उपभोग करने में बाधा कारित करने से दिनांक 30.9.2021 को प्रतिवादीगण ने वादिया को उसके हिस्सा अनुसार कार्य करने में बाधा डाली इस कारण से वाद कारण उत्पन्न हुआ व दिन–प्रतिदिन जारी है। वाद अधीन भूमि का मौके पर मय नींव, सींव कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्ड में निहित हिस्से अनुसार नाप चौक, बंटवारा नहीं हो रखा है इसलिये [illegible] संख्या 1 लगायत 5 के मध्य वाद विवाद, लड़ाई, झगड़ा होता रहता है। वादग्रस्त [illegible] सीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद को सुनने का श्रवणाधिकार [illegible] अतः उक्त [illegible]ग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व [illegible] सरहद कायम [illegible] जावे व राजस्व नक्शे में तरमीम किए जाने की [illegible] वादिया जारी कर रा[illegible]कार्ड में अमल दरामद किया जावें व वादिया की कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधाकारित करने बाबत् अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:07:24 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में वकील वादी की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी पेश किया गया जिस पर वादिया के बयान लिये गये। प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी जाकर वादिया का वाद स्वीकार किया गया। तदनुसार प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिनांक 08.6.2022 को दिये गये। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में कमिश्नरी रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) पत्रांक भू0–अ0/2024/277 दिनांक 05.02.2024 के संलग्न तैयार कर पेश की गयी। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी ने अपनी सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में वाद भूमि निम्नानुसार होगी।

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	अन्नू, बिमला, संतोष पुत्रियां भंवरलाल हि0 3/5, कमला पत्नि भंवरलाल हि0 1/5, दल्लाराम पुत्र भंवरलाल हि0 1/5 कौम बलाई सा0 देह खातेदार	919/58	0.8899	बा. 2
		917/48/1	0.2427	बा. 2
		कुल किता–2	1.1326	
2	राजूड़ी पत्नि छोटू जाति बलाई सा0 देह खातेदार	917/48/2	1.1326	बा. 2
		कुल किता–1	1.1326	

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का भाग होगा। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:07:24 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास–श्री मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 71/2021

1. राजूड़ी पत्नि छोटू जाति बलाई नि0 पनेर तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

....वादिया

बनाम

1. दल्लाराम पुत्र भंवरलाल जाति बलाई
2. कमला पत्नि भंवरलाल जाति बलाई
3. अन्नू पुत्री भंवरलाल जाति बलाई
4. बिमला पुत्री भंवरलाल जाति बलाई.
5. संतोष पुत्री भंवरलाल जाति बलाई
   सर्वनिवासीगण ग्राम पनेर तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर
7. शाखा प्रबंधक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा सलेमाबाद, किशनगढ़

....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री मुकेश चौधरी आर.ए.एस. व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पनेर के खाता संख्या नया 253 के ख0न0 917/48 रकबा 1.3753 है0 व ख0न0 919/58 रकबा 0.8899 है0 में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 5 के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में वाद भूमि निम्नानुसार होगी

क0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	अन्नू, बिमला, संतोष पुत्रियां भंवरलाल हि0 3/5, कमला पत्नि भंवरलाल हि0 1/5, दल्लाराम पुत्र भंवरलाल हि0 1/5 कौम बलाई सा0 देह खातेदार	919/58	0.8899	बा. 2
		917/48/1	0.2427	बा. 2
		कुल किता–2	1.1326	
2	राजूड़ी पत्नि छोटू जाति बलाई सा0 देह खातेदार	917/48/2	1.1326	बा. 2
		कुल किता–1	1.1326	

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 03.07.[illegible]24 को जारी की गई।

उपखण्ड ~~अनुविभाग~~ अधिकारी
रूपनगढ ~~(अजमेर)~~ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:07:24 IST
Reason: SelfAttested